अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

वाद सं0–180 / 2020

देवकी राय वगैरह —बनाम्— सुधीर यादव वगैरह

आदेश

26.10.2020 थाना प्रभारी, तिसरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर वाद की सुनवाई की गयी।

प्रथम पक्ष की ओर से लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर अपने पूर्वज के नाम हुकुमनामा द्वारा प्राप्त वादग्रस्त भूमि को वंशानुगत क्रम से प्राप्त कर दखलकार रहने एवं सरकारी लगान भुगतान करने का उल्लेख कर बताया गया कि द्वितीय पक्ष फर्जी हुकुमनामा के आधार पर जबरन इनकी भूमि को दखल करने को प्रयासरत है, अतएव जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किये जाने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से पूर्वज को हुकुमनामा से प्राप्त भूमि का नामांतरण के आधार पर लगान रसीद निर्गत होने एवं दखलकार रहने का उल्लेख कर बताया गया कि धर्मेन्द्र यादव एवं मुनिया देवी द्वारा फर्जी हुकुमनामा के आधार पर लगान रसीद निर्गत कराकर गलत ढंग से दावा किया जा रहा है जो गलत है एवं कार्यवाही समाप्त करने योग्य है।

पक्षकारों की आरे से विभिन्न जमाबंदी से निर्गत ऑफलाईन एवं ऑनलाईन रसीद की प्रति, दस्तावेज,जमाबंदी पंजी की प्रति तथा खतियान की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि खतियान में बकास्त एवं गैर आवाद खास खाता के प्लॉटों के प्रायः सभी चौहद्दी में जंगल अथवा परती कदीम दर्शाया गया है एवं पक्षकारों का दावा भी मूलतः अनिबंधित हुकुमनामा पर आधारित है जिसके संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निदेश निर्गत कर जमाबंदी के संबंध में जाँच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गयी है तद्नुसार अंचल अधिकारी, तिसरी को 01.01.1946 के पूर्व के निबंधित दस्तावेज एवं विधिवत् आदेश के तहत जमाबंदी कायम रहने संबंधी जाँच एवं तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है तथा खतियान के विवरण के अनुरूप जंगल एवं परती कदीम भूमि से

..2.

आच्छादित इस वाद में निहित गैरआवाद खाता तथा बकास्त भूमि के वास्तविक दखल, जमाबंदी एवं अन्य आवश्यक विन्दुओं के संबंध में जाँच जारी रहने तथा शांतिभंग की आशंका को देखते हुए तत्काल वादग्रस्त भूमि पर जाने से उभय पक्ष को प्रतिबंधित किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तिसरी को भेजें।

26/10/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

लेखापित एवं संशोधित

26/10/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:16:46 +05:30
Location: 192.168.1.3